न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 225/2019

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1 प्रभात कंवर पत्नी स्व. तेजसिंह 2 पृथ्वीसिंह 3 सज्जनसिंह पितरान स्व. तेजसिंह जाति राजपूत निवासी धन्ने का तला, शिवकर तहसील व जिला बाड़मेर।		1 कंसत कंवर पत्नी जीवराजसिंह 2 मदनसिंह पुत्र स्व. जीवराजसिंह 3 चैनसिंह 4 हेमसिंह पितरान स्व. खीमसिंह 5 विक्रमसिंह 6 जितेन्द्रसिंह 7 कल्याणसिंह पितरान स्व. भगसिंह 8 कंवराजसिंह पुत्र स्व. खीमसिंह जाति राजपूत 9 लेतीदेवी पत्नी भारूराम 10 नोजीदेवी पत्नी रेखाराम 11 कमला पत्नी बगताराम 12 कमला पत्नी दिरधाराम 13 इन्द्रादेवी पत्नी मगाराम 14 खेमाराम 15 केवलाराम पितरान मालाराम जाति जाट निवासी धन्ने का तला (शिवकर) तहसील व जिला बाड़मेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 RTA Act.

उपस्थिति :– 1 श्री सुनिल बी.एल. रामावत, वकील प्रार्थीगण।
2 श्री रामस्वरूप शर्मा, वकील अप्रार्थी संख्या 03 व 04।

निर्णय

दिनांक 15-10-19

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है जिसमे प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूरी संभावना है। प्रार्थीगण द्वारा एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा धन्ने का तला (शिवकर) पटवार क्षेत्र शिवकर तहसील बाड़मेर के खसरा संख्या 1036 रकबा 120.16 बीघा, मौजा हीरपूरा (शिवकर) पटवार क्षेत्र शिवकर तहसील बाड़मेर के खसरा संख्या 710 रकबा 81.00 बीघा, मौजा रामपुरा (शिवकर) पटवार क्षेत्र शिवकर तहसील बाड़मेर के खसरा संख्या 747 रकबा 0.09 बीघा, खसरा संख्या 748 रकबा 66.10 बीघा, खसरा संख्या 749 रकबा 03.05 बीघा, खसरा संख्या 752 रकबा 01.13 बीघा और मौजा दानपूरा (शिवकर) पटवार क्षेत्र शिवकर तहसील बाड़मेर के खसरा संख्या 772 रकबा 112.10 बीघा भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 08 की संयुक्त खातेदारी के पैतृक आई हुई है। उक्त भूमि में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 व 02 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 03 से 08 का भी संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा है। पक्षकारान द्वारा बाहमी तौर पर भूमि का विभाजन कर अपनी–अपनी कब्जे की भूमि पर काश्त करते आ रहे है। अप्रार्थी संख्या 01 से 08 वादग्रस्त भूमि अजनबी व्यक्तियों को बेचान करने पर उतारू है। उनके द्वारा कुछ भूमि का बेचान भी किया जा चुका है। अजनबी व्यक्ति प्रार्थीगण की उपजाउ की हुई भूमि पर जबरन कब्जा करने पर उतारू है। अप्रार्थी संख्या 01 से 08 अन्य भूमि का भी बेचान अन्य व्यक्तियों को कर भूमि छोटे–छोटे टूकड़ों में करने पर उतारू है। यदि वे उसमें सफल होते है तो प्रार्थीगण को भारी असुविधा होगी तथा अपने कब्जे काश्त की भूमि से महरूम होना पड़ेगा। लिहाजा वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष में इस आशय की जारी की जावे कि वादग्रस्त भूमि का विधिवत बंटावाड़ा होने तक अप्रार्थीगण मौके व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखें।

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01, 02, 14 व 15 की और से इंकाबली जवाब पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 03 से 05 की और से जवाब इस आशय का प्रस्तुत किया कि उनके द्वारा किसी प्रकार का बेचान नही किया जा रहा है। वादग्रस्त भूमि मे 1/2 हिस्सा प्रार्थीगण एव उसके परिवार के सदस्यों का है। अप्रार्थी संख्या 03 से 05 पैतृक वादग्रस्त भूमि के अभिलिखित सह खातेदार है। एक सहखातेदार, दुसरे सहखातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। प्रथम दृष्टया प्रकरण अप्रार्थीगण के पक्ष मे है। सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति जैसे बिन्दु भी अप्रार्थीगण के पक्ष में

उभय पक्षो की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण द्वारा आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि को अजनबियो को बेचान करने पर उतारू है। अजनबी व्यक्ति प्रार्थीगण की उपजाउ की हुई भूमि पर जबरन कब्जा काश्त कर प्रार्थीगण को बेदखल करते है, तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष मे है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। लिहाजा प्रार्थीगण वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।

वकील अप्रार्थी संख्या 03 से 05 की और से आवेदन के जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण पैतृक संयुक्त खातेदारी की वादग्रस्त के अभिलिखित सहखातेदार है। अभिलिखित सहखातेदार संयुक्त खातेदारी की अविभाजित भूमि में अन्य सहखातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। सहखातेदार को उसकी खातेदारी भूमि के विक्रय के अधिकार से वंचित रखने की न्याय की कतई मंशा नही है। आवेदन खारिज योग्य है।

हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की पैतृक अविभाजित भूमि है। वकील अप्रार्थीगण के इस तर्क से हम सहमत है कि पैतृक अविभाजित संयुक्त खातेदारी की भूमि को अन्य सहखातेदारान को विक्रय के अधिकार से वंचित रखने की मंशा कानून की नही है। एक सहखातेदार, दूसरे सहखातेदार के विरूद्ध संयुक्त खातेदारी की अविभाजित भूमि में अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 15-10-19 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner